

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in



पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी० डी० सी०
सर्वे कॉम्प्लेक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़-160030
Punjab, Haryana & Chandigarh GDC
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector 32-A
Chandigarh-160 030

सं० No. प्रशा० 4388/11-जी-2(आर.टी.आई.)

दिनांक Dated:- 19 जुलाई, 2019

सूचना सं. 08 /11-जी-2(आर.टी.आई.), दिनांक 19 /07/2019

सूचना


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लिंक अधिकारी का नामित किया जाना

इस केन्द्र के श्री सत्यार्थ प्रकाश, अधिकारी सर्वेक्षक को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। श्री सत्यार्थ प्रकाश, अधिकारी सर्वेक्षक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में (जो अवकाश / दौरा / ट्रेनिंग आदि पर जाने के कारण हो सकती है) उनका कार्य देखेंगे।

यदि ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उनके वश से बाहर हैं, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अचानक अवकाश / दौरा / ट्रेनिंग आदि पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ता है, तो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अपने पास pending सभी सूचना के अधिकार संबंधी अपील / प्रार्थना-पत्र आदि लिंक अधिकारी को सौंप कर जाएंगे। लिंक अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह उन सभी मामलों को, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा निपटाये गये हैं, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के वापिस आने पर उनके संज्ञान में लाएँ।

लिंक अधिकारी से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम:- श्री सत्यार्थ प्रकाश
पदनाम- अधिकारी सर्वेक्षक
पता:- पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए, चण्डीगढ़।
दूरभाष सं.- 0172-2600031, 2603464, 2602607
ई-मेल:- satyarth.prakash.soi@gov.in
फैक्स:- 0172-2604671


(प्रशांत कुमार)

निदेशक

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. समस्त अपर महासर्वेक्षक/ निदेशकों को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, सर्वे ऑफ इंडिया वेवसाइट द्वारा राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. स्थापना एवं लेखा अधिकारी/ तकनीकी अधिकारी/ सहायक भंडार अधिकारी को सूचनार्थ।
5. श्री सत्यार्थ प्रकाश, अधिकारी सर्वेक्षक को अनुपालनार्थ।
6. केन्द्र के समस्त स्कंधों/ अनुभागों के प्रभारियों को सूचनार्थ। (वितरण के अनुसार)
7. भंडार को इस अनुदेश के साथ कि वे इस संबंध में नोटिस बोर्ड पर संशोधन करवाने की कार्रवाई करें।